राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Civil First Appeal No. 165/2015

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सर्वेश जैन एवं श्री सिद्धार्थ बापना।
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री सुदेश बंसल।

:: आदेश :: **07.01.2019**

सुना गया।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में उठाये गये आधारों को ध्यान में रखते हुए अपील सुनवाई हेतु विचारार्थ ग्रहण की जाती है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। मामले की प्रकृति एवं प्रस्तुत तर्कों की रोशनी में दोनों पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि अपील के अन्तिम निस्तारण तक वादग्रस्त सम्पत्ति में किसी तृतीय पक्ष के अधिकार उत्पन्न करने के उद्देश्य से, वादग्रस्त सम्पत्ति का किसी तीसरे पक्ष को बेचान/अंतरण अथवा अन्य कार्यवाही नहीं करे।

तदनुसार स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

कार्यालय आगामी कार्यवाही करे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/–